दैनिक जागरण

उचित योजना के अभाव में लक्ष्य प्राप्त करना लगभग असंभव है

# राजनीति का शरारती रूप

अब इस पर कोई संशय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के हिंसक विरोध के पीछे अज्ञानता भरे अंदेशे के साथ ही शरारत भरे राजनीतिक दुष्प्रचार की भी एक बड़ी भूमिका है। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों और किस्म-किस्म के गैर राजनीतिक संगठनों ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, मानो सरकार ने अनर्थ कर दिया हो। हैरानी यह है कि ऐसा माहौल खड़ाकर अराजकता को हवा देने का काम वे दल भी कर रहे हैं जो एक समय नागरिकता कानून में वैसी ही व्यवस्था चाह रहे थे जैसे सरकार ने की और जिस पर संसद ने विधिवत मुहर भी लगाई। नागरिकता कानून के खिलाफ आज आग उगल रही कांग्रेस बड़ी चतुराई से यह भूलना पसंद कर रही है कि वाजपेयी सरकार के समय राज्यसभा में बतौर नेता विपक्ष मनमोहन सिंह बांग्लादेश जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने में नरमी बरतने की जरूरत जता रहे थे। उन्होंने इन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना देश की नैतिक जिम्मेदारी भी बताया था। अब जब मोदी सरकार ने इसी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर दिया तो कांग्रेस समेत अन्य दल अराजकता का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कायदे से तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने पर इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उससे पल्ला झाड़ना ही बेहतर समझा और वह भी तब जब असम से राज्यसभा सदस्य होने के नाते इससे भली तरह परिचित थे कि पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में पड़ोस से आए अल्पसंख्यक कितनी दयनीय दशा में रह रहे हैं।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते समय माकपा नेता प्रकाश करात ने उन्हें चिट्ठी लिखकर नागरिकता कानून को इस तरह संशोधित करने की मांग की थी कि बांग्लादेश से आए और परेशान हो रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सके। इस चिट्ठी में उन्होंने मनमोहन सिंह को उनके उस संबोधन की याद भी दिलाई थी जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। आज माकपा और अन्य दल बिना शर्म-संकोच नागरिकता कानून को काला कानून में बताने में लगे हुए हैं। वास्तव में इसी शरारतपूर्ण राजनीति के कारण नागरिकता कानून का हिंसक विरोध हो रहा है। यह भी एक किस्म की शरारत ही है कि शांतिपूर्ण विरोध के बहाने अशांति और अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हिंसक घटनाएं यही रेखांकित कर रही हैं कि अराजकता और उन्माद फैलाने का काम किस सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए हमारे नेता किस हद तक गिरने को तैयार हैं, इसका ही शर्मनाक उदाहरण है ममता बनर्जी की जनमत संग्रह संबंधी मांग।

# नशे के खिलाफ मुहिम

हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ना चिंतनीय है। हर रोज नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा माफिया ने जाल बिछाया है। कई युवाओं का नशे की गर्त में फंसना चिंतनीय है। जिस उम्र में युवा करियर चमकाने के लिए संघर्ष करते दिखने चाहिए, उस दौरान उनका नशे की ओर झुकाव सही नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मगर जरूरत उनमें तेजी लाए जाने की है। जरूरत इस बात की है कि नशा माफिया पर लगाम कसी जाए। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर मामलों में वही लोग पकड़े जाते हैं जिन्हें नशीले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए थोड़े से पैसों का लालच दिया जाता है। ऐसे मामलों में मुख्य सरगना कम ही पकड़ में आते हैं। इसलिए नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में मुख्य सरगना को दबोचने के प्रयास किए जाने चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि चंद पैसों के लिए तस्करी में शामिल होना सही नहीं है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सजा के अलावा लोगों को सामाजिक रूप से भी तिरस्कार सहना पड़ता है। उनके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। असल में नशा नाश की जड़ है। इसलिए समझदारी इसी में है कि नशे से दूरी बनाकर रखी जाए। युवाओं को चाहिए कि वे नशे से दूर रहकर अपना करियर संवारें। अभिभावकों का भी फर्ज है कि यदि उनका बच्चा नशे के चंगुल में फंस गया है तो उसे डांटे, नहीं बल्कि उसका उपचार करवाएं। प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के अभियान को और तेज किया जाना चाहिए। विशेषकर शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जाना चाहिए। नशीले पदार्थों का खात्मा एकजुटता के साथ ही किया जा सकता है। इस दिशा में सुखद खबर यह है कि उत्तर भारत के राज्य अब नशे के काले कारोबार के खिलाफ सामूहिक वार करेंगे। इस दिशा में शिमला में सात राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई है। इस बैठक में तस्करों के खिलाफ और सख्ती से निपटने की पुख्ता रणनीति बनाने के अलावा कार्ययोजना तैयार की गई है। इस समन्वय से सूचना और सूचना से सजा तक का रास्ता आसान होने की उम्मीद बंधी है।

**एकजुटता से ही नशीले पदार्थों का खात्मा हो सकता है। उत्तर भारत के राज्य यदि इस भाव से नशीले पदार्थों पर वार करेंगे तो इस बुराई को मात दी जा सकेगी**

# पाकिस्तान में भूचाल लाने वाला फैसला

विवेक काटजू

**बाजवा के सेवा विस्तार पर अड़ंगा लगाने के बाद मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाकर न्यायपालिका ने पाकिस्तानी फौज को सख्त संदेश दिए हैं**

पाकिस्तान के इतिहास में 17 दिसंबर की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज की जाएगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति एवं सेनाप्रमुख परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई। एक जज ने तो यहां तक कहा कि यदि मुशर्रफ मृत पाए जाएं तब भी उनके शव को घसीटकर इस्लामाबाद के चौक पर तीन दिन के लिए सूली पर चढ़ाया जाए। हालांकि उनके साथी जज इससे सहमत नहीं थे। यह टिप्पणी पाकिस्तानी सेना को बहुत चुभने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान की ताकतवर सेना और उसके पिट्ठू माने जाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने मुशर्रफ को बचाने के लिए सारी तिकड़में आजमाईं, लेकिन वे अदालती फैसले को रोकने में नाकाम रहे। तीन न्यायाधीशों द्वारा 2-1 के बहुमत से दिए गए इस फैसले की धमक बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। इससे पाकिस्तान की राजनीति, समाज और सेना में भूचाल सा आ गया है।

मुशर्रफ 2016 से देश के बाहर हैं और आजकल दुबई में गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं। मुशर्रफ को झटका देने वाले इस फैसले का आधार पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद छह और उसके तहत बने कानून हैं। उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान के संविधान को दरकिनार करने की कोशिश भी करता है तो वह देशद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसे 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पहल पर बनाए गए पाकिस्तानी संविधान में शामिल किया गया था। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। भुट्टो ने इसे इस मंशा के साथ लागू किया था ताकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख देश की हुकूमत पर काबिज न हो सकें। उनका मकसद था कि अयूब खान और याह्या खान जैसे फौजी तानाशाह फिर से न उभरें, लेकिन विडंबना यह रही कि उसके शिकार वह स्वयं हुए। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त जनरल जिया उल हक ने न केवल उन्हें सत्ता से बेदखल किया, बल्कि उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस वाकये के बीस साल बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्तापलट कर स्वयं सत्ता हथिया ली। जिया उल हक और फिर परवेज मुशर्रफ द्वारा किए गए सैन्य तख्तापलट को पाकिस्तान की न्यायपालिका से पूर्ण सहमति मिली।

जिस मामले में मुशर्रफ को सजा मिली है उसकी कड़ियां 2007 से जुड़ी हैं जब वह राष्ट्रपति के साथ-साथ सेना प्रमुख भी थे। तब राजनीतिक वर्ग पर शिकंजा कसने के बाद मुशर्रफ ने न्यायपालिका पर भी दबिश बढ़ा दी थी। इसी सिलसिले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर नजरबंद करा दिया था। पाकिस्तान की न्यायिक बिरादरी ने इसका भारी विरोध किया। नवंबर, 2007 में मुशर्रफ ने संविधान को निलंबित कर दिया। छह हफ्ते बाद संविधान की फिर बहाली हुई। इस अवधि में उन्होंने सेना प्रमुख का पद छोड़ा और एक सिविलियन राष्ट्रपति बने। आठ महीने बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद भी छोड़ दिया। उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ही मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने संविधान के निलंबन को अवैध करार दिया। यही पहलू इस मुकदमे का आधार बना।

अवधेश राजपूत

जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, इस मामले में पाकिस्तानी फौज ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया जताई। उसने इस फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। फौज का यह आक्रोश बेवजह नहीं। वह मौजूदा सेना प्रमुख जरनल बाजवा के सेवा विस्तार में अदालती अवरोध को लेकर पहले ही तिलमिलाई हुई है। उनसे जुड़े फैसले में भी अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पाकिस्तानी संसद ने छह महीने में उनकी नियुक्ति को लेकर उचित कानून नहीं बनाया तो उनका सेवा विस्तार अटक सकता है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तानी सेना इन अदालती फैसलों को अपनी साख से जोड़कर देख रही है। पाकिस्तानी सेना श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त है। उसे यह मुगालता है कि केवल वही पाकिस्तानी सीमाओं एवं वैचारिक बुनियाद को महफूज रख सकती है। पाकिस्तानी नेताओं के बारे में उसकी धारणा है कि वे कमजोर, अक्षम और भ्रष्ट हैं जो राष्ट्रीय हितों का संरक्षण नहीं कर सकते। नौकरशाही को भी वह नकारा और स्वार्थी समझती है। उसकी नजर में केवल वही एकमात्र ऐसा पवित्र संगठन है जिसे देश और जनता की फिक्र है और जिसका दामन भ्रष्टाचार से बचा है। राष्ट्र की स्वयंभू संरक्षक मानते हुए वह कानून और परंपराओं को तोड़ने से भी गुरेज नहीं करती। इसी कारण पाकिस्तान का इतिहास सेना की कारगुजारियों से भरा है।

हालांकि यदाकदा पाकिस्तानी न्यायपालिका ने सेना को असहज करने वाले फैसले भी सुनाए, परंतु यह तभी हुआ जब न्यायपालिका के शीर्ष पर सख्तमिजाज और विधि के लिए समर्पित न्यायाधीश मौजूद रहे हों। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में लापता लोगों के मामले में पाकिस्तानी न्यायपालिका ने सक्रियता के साथ सख्ती दिखाई। कुछ मामलों में तो सैन्य अधिकारियों को फटकार तक लगी, लेकिन सेना के शीर्ष नेतृत्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बलूचिस्तान में उसकी दमनकारी नीतियां यथावत जारी रहीं। इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने न्यायपालिका को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब एक पूर्व सेनाध्यक्ष को सजाए मौत और मौजूदा सैन्य मुखिया के सेवा विस्तार पर लटकी तलवार से उसका खीझना स्वाभाविक है।

पाकिस्तानी फौज न्यायपालिका को उसकी हैसियत जरूर दिखाना चाहेगी, पर फिलहाल उसके लिए ऐसा संभव नहीं दिखता। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से दो-चार है। उसकी अंतरराष्ट्रीय साख तार-तार है। मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर भी उसकी चुनौती और बढ़ा दी है। ऐसे में फौज कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि वहां लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी जा रही है। वह सार्वजनिक रूप से अदालत को पूर्णतः बेइज्जत करने का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है।

सवाल उठता है कि आगे क्या? इसमें संदेह नहीं कि फौज इमरान सरकार के कंधे पर बंदूक रख अपने हित साधेगी। इसमें पहला काम तो बाजवा के सेवा विस्तार के लिए कानून बनाना होगा। बाजवा भी कोई बीच का रास्ता निकालने की सोचेंगे जिससे उनका और फौज का स्वाभिमान कायम रह सके। जहां तक मुशर्रफ के मामले का सवाल है तो ऊपरी अदालतों में इस फैसले को पलटवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। वैसे भी इस फैसले को अमल में लाना लगभग असंभव है, लेकिन देखना है कि मुशर्रफ देशद्रोह के दाग से मुक्त होते हैं या नहीं? जो भी हो, न्यायपालिका के जरिये फौज को लगे लगातार दो झटकों के बावजूद ऐसे कोई आसार नहीं कि पाक की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आएगा। भारत नीति फौज अपने हाथ में ही रखेगी। यह छोड़ना उसके लिए नामुमकिन है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

# कुप्रचार का शिकार नागरिकता कानून

भूपेंद्र यादव

**नागरिकता कानून लाकर तो सरकार ने वही किया है जिसे करने की मांग मनमोहन सिंह ने 2003 में की थी**

संसद के शीतकालीन सत्र में संसद से पारित किए गए विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन विधेयक था, जो अब कानून बन चुका है। किसी भी देश के लिए नागरिकता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न होता है। जब सरकार किसी व्यक्ति को देश के नागरिक के रूप में मान्यता देती है तो वह नागरिक की सुरक्षा और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करती है, ताकि वह देश के नागरिक के रूप में गरिमापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। संसद से पारित इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समूहों-हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकारों में से कुछ सभी को दिए गए हैं, जबकि कुछ केवल देश के नागरिकों को दिए गए हैं। यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में है कि कुछ अधिकार सभी के लिए होते हैं और कुछ अधिकार केवल वहां के नागरिकों के लिए होते हैं। इस कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, सरकार को इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा, क्या यह कानून लोगों को नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? तीसरा, क्या सरकार द्वारा विधेयक लाने की पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक वैधता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के पहले यह समझना होगा कि देश का विभाजन 1947 में धार्मिक आधार पर हुआ। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह दोनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित था। नेहरू-लियाकत समझौते पर पाकिस्तान ने कभी अमल नहीं किया। इस कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश (उस दौर के पूर्वी पाकिस्तान) से भारत आए। इनके भारत आने का मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न और उनकी धार्मिक पहचान का खतरे में होना था। इस गंभीर समस्या पर सिर्फ वर्तमान सरकार का ध्यान गया।

2003 से 2014 के बीच संप्रग सरकार ने संसद में अनेक बार यह बात दोहराई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसलिए वे भारत आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2003 में जब केंद्र में राजग सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने इन पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मुद्दा उठाया था। माकपा नेता प्रकाश करात ने 2003 में मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर एक पत्र लिखा। कुल मिलाकर लंबे समय से चली आ रही इस समस्या की तरफ लगभग हर दल के नेताओं का ध्यान गया। सभी ने इस समस्या को एक गंभीर चिंता के रूप में जाहिर किया, किंतु दुर्भाग्य से समस्या को जानते और स्वीकारते हुए भी कांग्रेस ने ठोस समाधान निकालने की कभी कोशिश नहीं की। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया है।

जहां तक इस विधेयक की संवैधानिक वैधता का प्रश्न है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक के संबंध में उठाया गया मुख्य मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में है। वे तर्क दे रहे हैं कि पड़ोसी देशों के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देकर सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सच्चाई आरोपों से परे है। यदि एक कल्याणकारी सरकार किसी उपयुक्त आधार पर लोगों को वर्गीकृत करती है और फिर समूह के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्रदान करती है तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के तहत मान्य है। यह लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक वर्ग को चिन्हित करने के समान है। यदि देश के दस प्रतिशत लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया गया है तो यह नीति देश के करदाताओं के खिलाफ नहीं है। इसी तरह ओबीसी मुस्लिमों को दिया जाने वाला आरक्षण उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ नहीं है।

टीएमए पई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक और भाषाई आधार पर लोगों के वर्गीकरण को संविधानसम्मत स्वीकृत किया था। इसलिए विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ऐसे मुद्दे निराधार हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कानून पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ है। यह भी सच नहीं है। सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 'इनर लाइन परमिट क्षेत्रों' को कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता देने के लिए 31 दिसंबर, 2014 की तिथि निर्धारित की है। यानी नागरिकता प्रदान करने के लिए नए प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत केवल उन्हें नागरिकता दी जाएगी जो निर्धारित तिथि या उससे पहले प्रवेश कर चुके हैं। बाहर से आए लोगों को विशेष परिस्थिति में नागरिकता पहले भी दी जाती रही है। 2003 में राजग सरकार और यहां तक कि 2013 में संप्रग सरकार ने सर्कुलर के माध्यम से पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की थी। इसलिए धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर लोगों को नागरिकता देना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। यह कानून लाकर तो सरकार ने लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी हल निकाला है। बिना किसी अधिकार के अनिश्चितता और असुरक्षा का जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को नागरिकता प्रदान करके भारत सरकार ने मानव अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों द्वारा जिस ढंग से नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रामक अप-प्रचार करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 से भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को कोई खतरा नहीं है। इस कानून से किसी की नागरिकता पर कोई खतरा होने का सवाल ही नहीं है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### मानवीय गुण

इस दौर में मानव का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसका कारण तमाम तरह की व्याधियों से घिरा होना है। अधिकांश व्याधियों का संबंध मानव मन एवं मस्तिष्क से जुड़ा है। वास्तव में मानव शरीर सद्गुण, रजोगुण एवं तमोगुण से मिलकर बना है। इनकी अलग-अलग विशेषताएं हैं। सद्गुणों द्वारा मनुष्य में ईश्वर के स्वरूप की पहचान रहती है। इससे वह प्रायः प्रसन्न रहता है। रजोगुण की प्रधानता में हर्ष तथा भय साथ रहते हैं। वहीं तमोगुण में मनुष्य पशु के समान केवल स्वयं के स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। इससे वह मानसिक रूप से एकाकी होकर चहुंओर विषैला माहौल पाता है। सनातन धर्म के अनुसार वर्तमान काल को कलयुग कहा जाता है। इसमें मानव में तमो ज्यादा, रजो थोड़ा तथा सद्गुणों का मुख्य रूप से अभाव ही होता है। मनुष्य तत्वज्ञान तथा योग के द्वारा तमो और रजो गुणों के प्रभावों से मुक्त होकर सद्गुण अपनाकर किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है।

इन सद्गुणों कों पतंजलि के अष्टांग योग एवं ईश्वर भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा द्वारा प्राप्त की जा सकती है, परंतु यही ईश्वर भक्ति कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए कलयुग के स्वरूप को समझते हुए रामचरितमानस में कहा गया है कि इस युग में मानसिक पुण्य तो होते हैं, परंतु मानसिक पाप नहीं होते। ऐसा इसलिए, क्योंकि सभी जगह ऐसा ही माहौल है जहां सर्वत्र पाप एवं अप्रिय दृश्य उत्पन्न होते रहते हैं। इनके कारण कभी-कभी बुरे विचार मनुष्य को घेर लेते हैं जिन्हें वह पाप समझकर अपराध बोध में गिरा रहता है। ऐसी स्थिति में वह ईश्वर भक्ति तथा विवेक से इन मानसिक पापों से निवृत्त होकर सकारात्मक विचारों से स्वयं को ऊर्जावान बना सकता है। संभवतः इसीलिए कलयुग को सबसे अलग काल माना जाता है, क्योंकि इसमें वह थोड़े से प्रयास से ही अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह राह अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

कर्नल शिवदान सिंह

# असामाजिक होता सोशल मीडिया

अंशुमाली रस्तोगी

**अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि अनाप-शनाप लिखकर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करें**

हमारा देश आखिर किस दिशा में जा रहा है? हिंसा और अविश्वास का भाव हावी है। परस्पर प्रेम और भाईचारे का तानाबाना टूटता जा रहा है। यह अब कैसे और किस तरीके से जुड़ेगा, यह कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया को भी इसके लिए कुछ तक हद दोषी माना जा सकता है जहां अफवाहों को तूल दिया जा रहा है। देश में बोलने-लिखने की आजादी है तो क्या उसका इस तरह बेजा फायदा उठाया जाएगा। हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा।

क्या सोशल मीडिया पर हम सब यही करने के लिए आए थे! यह मंच हिंसा और भावनाएं भड़काने के लिए तो नहीं था! इसके रूप में हमें एक जरिया मिला था अपनों से जुड़े रहने का। दुनिया को खुद से जोड़े रखने का। दूरियों को कम करने का। अपनी बात को अपने तक ही सीमित न रख, पूरी दुनिया में फैलाने का। नए रिश्ते कायम कर उन्हें नया नाम, नई पहचान देने का। अपने विचारों को लिखने और दूसरे के विचारों को पढ़ने का। तर्कपूर्ण बहस करने का। कुछ अच्छा पढ़ने का, किंतु हमने तो इस खूबसूरत माध्यम को अपनी कुत्सित राजनीति और सांप्रदायिक सोच से नष्ट कर डाला। जो सोशल मीडिया पर व्याप्त इन मूर्खताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने इसे त्याग दिया और कुछ ऐसा करने की तैयारी में हैं। उनके पास आखिर क्या विकल्प है?

कोई भी संवेदनशील व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसा और उपद्रव को सहन और उसका समर्थन नहीं करेगा। अपने ही देश, समाज और नागरिकों को उपद्रव की आग में जलते देखना किसे अच्छा लगेगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से पहले हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही अपने उन हमदर्दों की हकीकत भी समझें जो अपने हितों के लिए अक्सर हमारा इस्तेमाल करते हैं।

हर मसले को 'राजनीतिक रंग' देने की हमने कितनी खराब आदत बना ली है। नेताओं का तो काम ही राजनीति करना है, लेकिन हमें तो कम से कम उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचना चाहिए। नेता तो राजनीतिक दांव खेलकर अपने हित साधकर निकल जाएंगे, मगर हम और आप कभी धर्म तो कभी जाति की दीवारों में बंटते चले जाएंगे। हमें यह नहीं भूलना होगा कि हमारी पहचान गांधी और विवेकानंद से होती है, हिटलर या मुसोलिनी से नहीं। हमें उन क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों के पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए इतने यत्न किए।

ऐसे में हमारा दायित्व है कि अपने देश में ऐसा कुछ भी गलत न होने दें कि पड़ोसी मुल्क हम पर हंसे। हमें बदनाम करे। हालांकि हम ऐसा कुछ भी देश के संग कभी होने नहीं देंगे। निरंतर फैल रही हिंसा को हमें ही रोकना होगा। बड़े लोकतांत्रिक देशों में हमारा नाम आता है, कम से कम उसी की लाज रख लें। यह मुल्क हम सब का है। सबकी साझा विरासत है। इस विरासत को बचाना होगा। हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कम से कम सोशल मीडिया के सार्थक उपयोग से हम सौहार्द की बुनियाद तो रख ही सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### नागरिकता कानून को समझने की दरकार

अज्ञानता से उपजा हिंसक विरोध शीर्षक लेख के तहत रामिश सिद्दीकी ने नागरिकता कानून के बारे में यह बताने की कोशिश की है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है और मुस्लिमों द्वारा इसका विरोध करना उचित नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के बारे में कहा था, 'मेरा विश्वास युवा शक्ति पर है। इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे, जो अपने पराक्रम से विश्व को बदल देंगे।' युवा वर्ग का देश के विकास, देश और समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्र और समाज को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए युवाओं की सोच अहम भूमिका निभाती है। इस बात का गवाह तो इतिहास भी है, लेकिन यह तभी संभव है जब देश में रहने वाले हर धर्म के युवाओं की सोच अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अनुकूल हो। नागरिकता कानून पर जो हिंसक विरोध उपजा इसका कारण अज्ञानता के साथ-साथ इस कानून पर होने वाली संकीर्ण राजनीति और मुस्लिम समाज के कुछेक धर्म के ठेकेदारों की अपनी झूठी शान भी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि यह कानून न तो मुस्लिम समाज के लिए और न ही अन्य किसी धर्म के लोगों के खिलाफ है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी सरकार को इस कानून की कमियों को दूर करने के उपाय अपनी हठधर्मिता को छोड़कर करने चाहिए, ताकि इससे देश को कोई नुकसान न हो। देश में प्रत्येक धर्म के लोगों को संकीर्ण राजनीति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, धर्म-संप्रदाय पर राजनीति करने वाला का मकसद हमेशा अपना वोट बैंक ही होता है। इस कानून का विरोध करने वालों को इसका भान अवश्य होना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### विरोध के पीछे राजनीति

नागरिकता संशोधन कानून का किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। यह बात इस्लामिक मामलों के जानकार रामिश सिद्दीकी ने अपने आलेख में मुस्लिम समाज को समझाने की कोशिश की है। बुधवार को जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी यही बात कही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कायदे में इस विरोध के पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं, जिनकी जमीन खिसक चुकी है। वे इसी बहाने स्वयं को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। असम से तो खबर आ रही है कि कुछ उग्रवादी व कट्टरपंथी संगठन आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं। दिल्ली में भी कई मुस्लिम नेताओं ने प्रदर्शन में भाषण दिए, लेकिन उनका दावा है कि उस प्रदर्शन में हिंसा जैसी कोई बात नहीं थी, फिर हिंसा कौन कर रहा है? जाहिर है कुछ गलत लोग इसमें प्रवेश कर गए हैं, वे आंदोलन के जरिये अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले नागरिकता कानून के प्रावधान को पढ़ना चाहिए। किसी की कही बात पर उबल पड़ने से बेहतर है खुद इसकी सही जानकारी हासिल करें। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह पाकिस्तान व बांग्लादेश के उन नागरिकों को भी नागरिकता का अधिकार देता है जो बहुत पहले यहां आकर बस गए हैं। यह कानून केवल भविष्य में किसी घुसपैठ को रोकने के लिए है तो इसमें बुराई क्या है। अमेरिका जैसा देश भी अपने यहां किसी को आसानी से नहीं आने देता है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं और उसने इस मामले में सुनवाई करना स्वीकार भी कर लिया है। इसके बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है।

डा. शोभा भारद्वाज, दिल्ली

### सुधार के लिए स्वयं करनी होगी पहल

अगर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ही ऐसे लोगों को टिकट देंगी जिनके विरुद्ध दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे हैं तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वे किसी भी दुष्कर्म की घटना का विरोध करें। उनकी खुद की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि वे सब राजनेता, जो संसद और संसद के बाहर आक्रोश जाहिर कर रहे थे, उनका विरोध सिर्फ घड़ियाली आंसुओं जैसा ही है। यह भी सर्वविदित है कि केवल मीडिया के दबाव के कारण ही भाजपा को अपने उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। जब तक इन पार्टियों की महिला नेता अपने दलों पर दबाव नहीं बनाएंगी तब तक बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

बाल गोविंद, नोएडा

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आम